

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 32/2024

जीसीएमएस नम्बर : 2024/77

प्रार्थीगण:-
1. मगाराम पुत्र छोगाराम
2. तकाराम पुत्र गिरधारी
जातिगण देवासी, निवासीगण
खुण्डवास तहसील रोहट,
जिला पाली

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. उदाराम पुत्र शिवनाथराम, जाति
देवासी, निवासी खुण्डावास, तहसील
रोहट, जिला पाली
2. ग्राम पंचायत खुण्डावास जरिये
सरपंच ग्राम पंचायत खुण्डावास
तहसील रोहट जिला पाली

“पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994”

उपस्थिति :-

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मोहम्मद शरीफ काजी।

:- निर्णय :-

दिनांक : 30/04/2025

प्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत खुण्डावास द्वारा मिसल संख्या 59/2002, प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 05.02.2002 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 3480 के विरुद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद नोटिस तामिली वक्त बहस असागतन/वकलागतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम खुण्डावास में प्रार्थी के पिता की पुश्तैनी भूमि आयी हुई है, जिसका क्षेत्रफल 11984 वर्गफीट है। उक्त भूमि में तीन हिस्सेदार शिवनाथ, छोगाराम, व गिरधारी है, जिससे जैर आराजी में प्रत्येक का 1/3 हिस्सा बनता है परन्तु शिवनाथ ने अपने हिस्से की भूमि से अधिक भूमि का जैर निगरानी पट्टा बना लिया। जैर निगरानी पट्टे हेतु अप्रार्थी ने दिनांक 20.01.2002 को आवेदन प्रस्तुत किया और दिनांक 05.02.2002 को ही ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी कर दिया गया। ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय न तो मौका निरीक्षण किया, न ही आपत्ति ईशितहार नोटिस जारी किया और न ही स्वतंत्र गवाहों के बयान लिये। जैर निगरानी पट्टा मात्र 20 रूपये की फिस पर जारी किया गया जबकि नियम 157 क तहत 20 रूपये में पट्टा जारी किये जाने के कोई प्रावधान नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 09.06.2018 को वारिस प्रमाण पत्र जारी किया गया तथा यह स्वीकार किया गया कि शिवनाथ, छोगाराम, गिरधारीराम की सामलाती मकान पर पट्टा बना लिया है। इसी प्रकार समाज व गांव के व्यक्तियों के सामने दिनांक 20.05.2017 को यह स्वीकार किया कि शिवनाथराम की 3600 वर्गफीट मकान की भूमि



आती है लेकिन पट्टा अधिक भूमि पर बनाया गया है। इसलिये ग्राम पंचायत द्वारा विधिविरुद्ध तरीके से जारी जैर निगरानी पट्टे को खारिज फरमावे।

हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकपक्षीय श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत खुण्डावास द्वारा मिसल संख्या 59/2002, प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 05.02.2002 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 3480 के विरुद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि जैर निगरानी पट्टे हेतु आवेदन दिनांक 20.01.2002 को किया गया और आगामी बैठक दिनांक 05.02.2002 में बिना कोई प्रक्रिया अपनाये जैर निगरानी पट्टा जारी करने के आदेश पारित कर दिये। इस सम्बन्ध में जैर निगरानी पट्टे का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि उक्त पट्टे पर पंचायत समिति के आदेश संख्या 4816-39 दिनांक 15.01.2002 अंकित है तथा उक्त आदेश दिनांक के पश्चात् ग्राम पंचायत की बैठक 20.01.2002 के प्रस्ताव संख्या 8 में अंकितानुसार "बी.पी. एल. परिवारों के कब्जासुदा मकानों के पट्टे बनाने पर विचार - वांछित बी.पी.एल. परिवारों को कब्जासुदा मकानों के पट्टा बनाने हेतु मौका निरीक्षण हेतु वार्डपंच अनसिंह, बजरंगसिंह, रामूदेवी व प.स.सदस्य मदनसिंह जागरवाल सहित कमेटी गठित की गई एवं आगामी बैठक ग्राम सभा 26 जनवरी 2002 को रिपोर्ट पेश करने का निर्णय लिया गया।" ग्राम पंचायत से इससे आगामी बैठक दिनांक 05.02.2002 के प्रस्ताव संख्या 2 अनुसार पट्टे से सम्बन्धित मिसल में आपत्ति नोटिस की अवधि पूर्ण हो चुकी है किन्तु किसी भी मिसलों के पट्टे के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति ग्राम पंचायत को प्राप्त नहीं हुई है और सर्वसम्मति से पट्टा बनाने का निर्णय लिया गया। हस्तगत प्रकरण में जब ग्राम पंचायत ने दिनांक 20.01.2002 को मौका निरीक्षण हेतु कमेटी गठित की और उससे आगामी बैठक में प्रश्नगत आराजी से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होना बताते हुये सम्बन्धित भूमि का पट्टा बनाने का निर्णय ले लिया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत ने पंचायतीराज नियमों में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना किये बगैर हस्तगत पट्टा जारी किये जाने के आदेश पारित कर दिये, जो प्रथदृष्टया विधिविरुद्ध प्रतीत होते हैं।

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में पट्टा जारी करने की प्रक्रिया विहित है। जिसके अनुसार नियम 145 के तहत पंचायत से कोई भी आबादी भूमि/छूटा हुआ भूखण्ड या भूमि की कोई पट्टी खरीदने का इच्छुक कोई व्यक्ति पंचायत को लिखित आवेदन, उसमें उसका ऐसा विवरण देते हुए प्रस्तुत करने के प्रावधान है, जो क्रय के लिये प्रस्तावित भूमि की पहचान के लिये पर्याप्त हो तथा आवेदन के साथ स्थल निरीक्षण के व्ययों के पेटे पच्चीस रुपये की राशि जमा करानी होगी तथा आवेदन के साथ स्थल का नक्शा संलग्न नहीं किया गया हो तो आवेदक नक्शा तैयार करने के लिये भी पच्चीस रुपये जमा करायेगा। इसके पश्चात नियम 146 के तहत मिसल कायम करने तथा मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचों की कमेटी मनोनीत करने तथा कमेटी द्वारा 15 दिवस के भीतर मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के प्रावधान है। नियम 147 के तहत अंतिम विनिश्चय करने एवं नियम 148 के तहत एक माह की अवधि के भीतर आपत्ति आमन्त्रित करने का नोटिस जारी कर प्रकाशित करने के प्रावधान है। नियम 148



1/10

के अधीन जारी सूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त आक्षेप के निस्तारण के प्रावधान नियम 149 के तहत प्रदत्त है। नियम 150 के तहत भूमि को नीलाम करने की प्रक्रिया विहित है। नियम 151 में नीलामी समिति प्रावधित है। नियम 152 में बाजार कीमत सम्बन्धी तथा नियम 153 में संदाय एवं पुनर्विक्रय करने के प्रावधान उल्लेखित है तथा नियम 154 के तहत विक्रय की पुष्टि करने के प्रावधान है। नियम 155 के तहत कब्जा सुपुर्द करने के प्रावधान है। नियम 156 के तहत प्राईवेट बातचीत द्वारा आबादी भूमि का अन्तरण करने के प्रावधान है। नियम 157 के तहत पुराने गृहों का विनियमितीकरण के प्रावधान है, जिसमें 50 वर्ष से अधिकार पूर्व के निर्मित मकानों हेतु 100/- रुपये एवं इन नियमों के लागू होने की तिथि को 50 वर्षों के दौरान बने पुराने मकानों हेतु 200/- रुपये जमा कराने के पश्चात पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा। नियम 158 के तहत भूमियों का कमजोर वर्गों को आवंटन के प्रावधान है। नियम 159 के तहत भूमियों का रियायती कीमत पर आवंटन तथा नियम 160 के तहत अनुमोन के अध्यक्षीन अन्तरण और आवंटन के प्रावधान उल्लेखित है। जिसका परिक्षण एवं वैद्यता को जांचने के लिए ग्राम पंचायत के रेकर्ड की उपलब्धता वांछनिय है।

इसके अतिरिक्त अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा 20 रुपये की शुल्क पर जारी किया गया जबकि नियम 157 के तहत 20/- रुपये में पट्टा जारी किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। जैर निगरानी पट्टे का अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 157(क) के तहत जारी किया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के तहत— (i) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिये या 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यक्षीन रहेतु हुये 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुये संनिर्मित क्षेत्रफल —(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीखे से पूर्व, पचास वर्षों से अधिक पूर्व में संनिर्मित पुराने गृहों के लिये रु. 100/- (ख) 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षों के दौरान संनिर्मित पुराने गृहों के लिये रु. 200/- प्रावधान है। जबकि ग्राम पंचायत ने इन नियमों की अवहेलना करते हुये नियम 157(क) के तहत मात्र 20/- रुपये पर जैर निगरानी पट्टा जारी किया। हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत ने अपने पत्र दिनांक 28.05.2024 के द्वारा अवगत करवाया कि जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित मूल मिसल रेकर्ड मे उपलब्ध नहीं है, जो प्रकरण को संदेहास्पद बनाता है। साथ ही ग्राम पंचायत खुण्डावास ने अपने पत्र दिनांक 09.06.2018 के द्वारा वारिस प्रमाण-पत्र में यह अंकित किया कि "स्वरूपराम व उदाराम पुत्र शिवनाथराम ने तथ्य छुपाकर हिस्से से अधिक भूमि का पट्टा बनाया गया है, जो गलत है।" जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई है। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टे विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आंशिक स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत खुण्डावास द्वारा मिसल संख्या 59/2002,


अ.क.



प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 05.02.2002 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 3480 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का अभिलेख लौटाया जावे। निर्णय की सत्यप्रति ग्राम पंचायत खुण्डावास को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 30/04/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली
अति. बि.क.कलेक्टर पाली